पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

गुमनामी बाबा की पहचान को लेकर न्यायमूर्ति विष्णु सहाय ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी

लखनऊ: 19 सितम्बर 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज राजभवन में अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति विष्णु सहाय ने भेंट किया तथा गुमनामी बाबा / भगवानजी जांच आयोग की 347 पृष्ठीय रिपोर्ट सौंपी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल की प्रमुख सचिव सुश्री जूथिका पाटणकर, आयोग के सचिव अवकाश प्राप्त जिला जज न्यायाधीश दिलीप कुमार भी उपस्थित थे। राज्यपाल आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के परीक्षण के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही के लिये राज्य सरकार को भेजेगें।

उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति विष्णु सहाय ने उक्त एकल सदस्यीय आयोग का चार्ज 4 जुलाई, 2016 को लिया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट लगभग चैदह माह में पूरी की है। 31 जनवरी, 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बंेच ने उत्तर प्रदेश सरकार को फैजाबाद के रामभवन में रहने वाले गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी की पहचान की जांच के लिये एक पैनल के गठन पर विचार करने को कहा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस बात को लेकर याचिका दायर की गई थी कि फैजाबाद में रहने वाले गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।
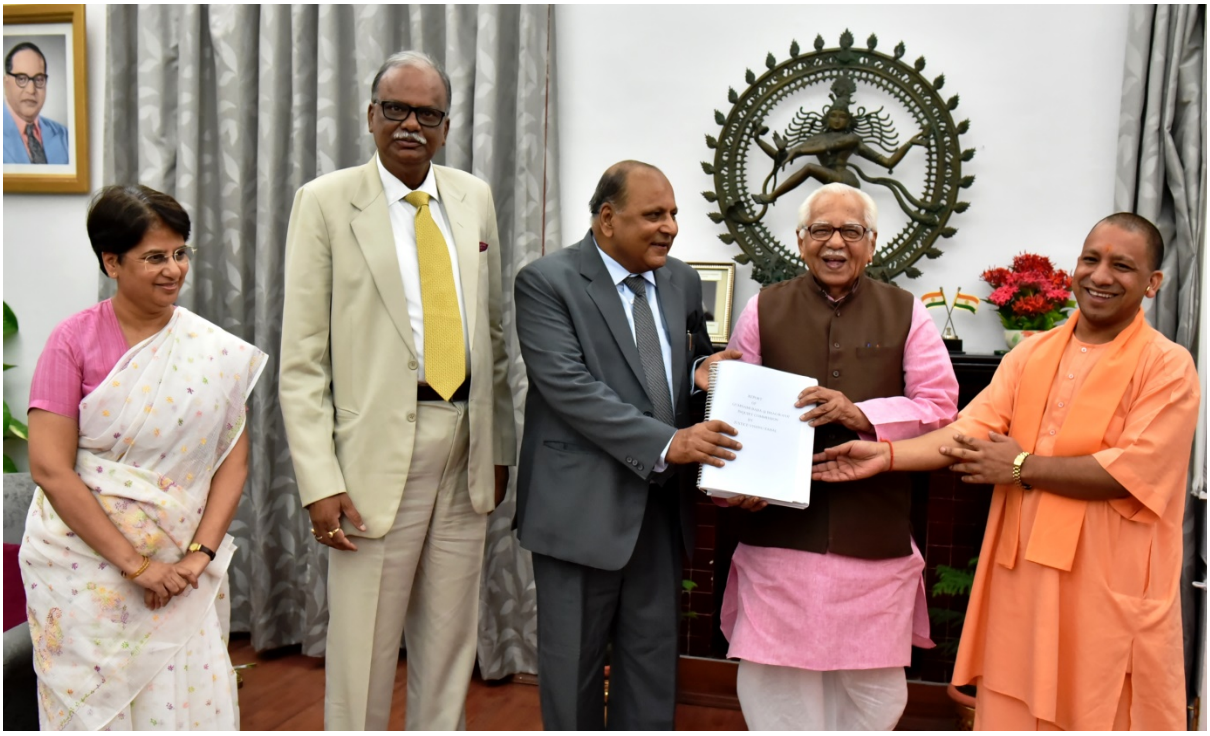
अंजुम/ललित/राजभवन (358/30)